



न्यायालय समाहर्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा  
सरफेसी वाद संख्या-183/2015  
सेन्ट्रल बैंक बनाम शकुन्तला कुमारी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
13/01/2017	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी विगत तिथि-18.04.2016 से लगतार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि उन्हें इस वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है, जिस कारण इस वाद की कार्यवाही को चलाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता न्यायालय का समय बाधित होने एवं वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। अतएव इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।</p> <p style="text-align: center;"> समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।</p>	